(33)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.कं. /2019 अपील – शिवपुरी अपील-0076/2019/शिवपुरी/अ.210

श्रीमती पुनिया बाई पुत्री कसिया उर्फ काशीराम आदिवासी निवासी ग्राम मुडखेड़ा तहसील / जिला शिवपुरी ..... आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदक

अपील आवेदन पत्र धारा 44 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 09/2014–15/अ–21 (1) श्रीमती पुनिया बाई विरूद्ध म.प्र. शासन आदेश दिनांक 14.05.2018 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.1.2019 को प्राप्त हुई।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-1-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हैं :–

यह कि, अपीलार्थिनी ने अपनी भूमि सर्वे कं. 110, 136/1, 150, 351/मिन–2, 359, 374/3 कुल किता 6 कुल रकवा 3.790 है0 एवं ग्राम झींगुरा स्थित सर्वे कमांक 48/1 रकवा 0.471 में से हिस्सा 3/4 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त सर्वे नंबरानों की जानकारी हेतु अपने अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ., तहसीलदार के मार्फत, आर.आई. पटवारी के द्वारा

अपील 0076/2019 अला – शिवपुरी

21/11/19 अपीलार्थी अधि० श्री - कुंआरसिंह कुशवाह उप. लेकर - शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया। उनके द्वारा अनुरोध किया है कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत हेतु मूल दस्तावेज वापस करने का अनुरोध किया गया है।

2 - अपीलार्थी अधि० का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, अपीलार्थी अधि० को मूल दस्तावेज सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज वापस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह प्रकरण इस न्यायालय से समाप्त किया जाता है।

सदस्य

समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त
21/11/19